न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2023

प्रार्थीगण – ***बनाम*** **अप्रार्थीगण –**

रिडमलराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

1. मगाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी लीलसर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत लीलसर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 49 दिनांक 12.06.2017 जो अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम लीलसर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 49 दिनांक 12.06.2017 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता [illegible] के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 [illegible] जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष [illegible] किया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत लीलसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एंव आधिपत्य का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत लीलसर की आबादी भूमि के खसरा नंबर 332/250 में आया हुआ है। निगरानीकर्ता के पूर्वजों का कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय से लगातार चला आ रहा है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत लीलसर ने बुक नं. 3, मिसल संख्या 129 एवं पट्टा संख्या 29 दायर दिनांक 05.05.2017 को निगरानीकर्ता के पक्ष में भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 12.06.2017 को निष्पादित किया गया था। उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत लीलसर ने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.10.2019 की आम सभा मे पट्टा संख्या 29 का निगरानीकर्ता का नाम नवीनीकरण किया था। उक्त पट्टा विलेख दिनांक 03.12.2019 को उपपंजीयक चौहटन द्वारा पंजीकृत किया गया था। विप्रार्थी संख्या 01 मगाराम ने दिनांक 05.05.2017 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित करवाने हेतु ग्राम पंचायत लीलसर में आवेदन प्रस्तुत किया जिस भूखण्ड के नाप व पडोस कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफीट एवं पूर्व दिशा–आबादी भूमि, पश्चिम दिशा–रा.प्रा. विद्यालय लीलसर की दीवार, उत्तर दिशा–आम रास्ता गली 10 फीट चौड़ी, दक्षिण दिशा–खेताराम पुत्र मालाराम का कब्जा होना बताया है। उपरोक्त नाप व पडौस के मध्य की भूमि पर विप्रार्थी संख्या 01 को विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के प्रावधानों के तहत दिनांक 12.06.2017 को पट्टा संख्या 49 और बुक संख्या 02 मिसल संख्या 186 के तहत पट्टा जारी किया गया है। जिसमें पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 12.06.2017 मे उत्तर दिशा में रास्ता बताया गया है, जो गलत है वास्तव में उतर दिशा में कोई रास्ता [illegible] उतर दिशा में निगरानीकर्ता का कब्जा एवं रांगे भ[illegible] हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नि[illegible] 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए पुराने कब्जे व रहवास का पट्टा विलेख जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख नाप व पडोस के भूखण्ड मौके पर स्थित नहीं है और न ही उसके पट्टे के पडोस मौके पर लौकेट होते है। इसके साथ ही अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे पर दो ग्राम सेवक व दो सरपंचो के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 ने गत निर्वाचन में मतदान को लेकर प्रार्थीगण के साथ द्वेषभाव रखते हुए रंजीश लेकर प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी कर दिया जो निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में जांच, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय चौहटन में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। लिहाजा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत लीलसर से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थी स. 1 के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन / नियमन किया गया है। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं तथा सार्वजनिक आपत्तियों के आमंत्रण का विधिवत नोटिस प्रकाशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने के उपरांत पंचायत की बैठक दिनांक 12.06.2017 में प्रस्ताव सं. 05 पारित करते हुए आलौच्य विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख नाप व पडोस के भूखण्ड मौके पर स्थित नहीं है और न ही उसके पट्टे के पडोस मौके पर लौकेट होते है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरण में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता हैं। ऐसे में यदि प्रार्थी को आलौच्य प्रकरण के सम्बन्ध में कोई एतराज हैं तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण के समय उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी संख्या 1 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत लीलसर के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्रावली में गवाहान के बयान पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में ग्राम सेवक एवं वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.05.2017 को जारी किया गया है जिसमें नियमों की किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई है। वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय चौहटन में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूमि में अपना हक–हिस्सा होना मानता हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी-पत्र में उक्त पट्टा विलेख के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested